बिहार सरकार

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक–04/STA-विविध-20/2017, परि0– 1388 /पटना,दिनांक–20/3/2020

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार–झारखण्ड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक–01.03.2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें आवेदनों पर प्राप्त आपत्ति की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किये जाने के पश्चात् परमिट की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। जिसके आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न तिथियों को सुनवाई की गयी एवं सुनवाई पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट की स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही दिनांक–27.01.2020 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया। उक्त कार्यवाही में प्राधिकार द्वारा "प्रत्येक स्वीकृत परमिट के परमिटधारी को परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजात दिनांक–27.02.2020 तक राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय के एकल खिड़की पर 4:00 बजे अपराह्न तक जमा करना होगा, अन्यथा दिनांक–28.02.2020 से स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा," का निर्णय लिया गया था।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के उक्त निर्णय के आलोक में निम्न मद संख्याओं में स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु वांछित कागजात(चेकलिस्ट के अनुसार) समर्पित नहीं किया गया है :– (क–21)1, (क–21)2, (क–23)4, (क–57)6, (क–60)5, (क–60)6, (क–60)8, (क–62)3, (क–67)8, (क–67)9, (क–67)10, (क–70)15, (क–70)16, (क–81)3, (क–81)4, (क–81)5

अतः उपरोक्त मद संख्या में स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द समझा जाय।

ह0/- 19/3

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।